③ ②

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-2
संख्या-एफ0ए-2-367 /दस-92-100(30)डी/92-गृह पुलिस अनु0-12
लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 1992

कार्यालय-ज्ञाप

शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ0ए-2-258/दस-84-3डी/84-गृह (पुलिस) अनुभाग-12, दिनांक 22 जून, 1984 का अतिक्रमण करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों (Communal Riots) से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों, जिनके जानमाल को गंभीर क्षति हुई है, उन्हें पुनर्वासित करने हेतु बजट प्राविधान के अन्तर्गत सहायतार्थ दी जाने वाली राहत की धनराशि की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित वित्तीय अधिकार गृह सचिव, उ0प्र0शासन को प्रतिनिहित करते हैं :-

(1) दंगे में प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं) के परिवार को	रू0 50,000/-
(2) दंगे में स्थायी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं)	रू0 12,500/-
(3) दंगे में अस्थाई रूप से अपंग हो गये प्रत्येक व्यक्ति को	रू0 2,500/-
(4) दंगे में संघातिक चोट के परिणामस्वरूप घायल व्यक्ति को जो ऊपर (3) में अपंग की परिभाषा में न आता हो	रू0 1,250/-
(5) दंगे में चल सम्पत्ति की हानि की स्थिति में	रू0 5,000/-
(6) दंगे में मकान को हुई क्षति की स्थिति में	रू0 1,250/- से रू0 37,000/- तक
(7) दंगे में जीविकोपार्जन सम्बन्धी वस्तुओं (जैसे गाड़ी, नाव या बैल आदि) की हानि की स्थिति में	रू0 5,000/-

2- उपर्युक्त (6) के सम्बन्ध में सांप्रदायिक दंगे में क्षतिग्रस्त मकान की वास्तविक हानि की कीमत को आंकते हुए सहायता की धनराशि निर्धारित की जाएगी। कच्चे मकान के पूर्णतया नष्ट हो जाने पर अधिकतम रू0 12,500/- (रुपये बारह हजार पांच सौ मात्र) तथा पूर्णरूप से पक्के बने मकान के पूर्णतया

नष्ट हो जाने के मामले में अधिकतम रु0 37,000/- रुपये सैंतिस हजार मात्र। तक की आर्थिक सहायता निर्धारित की जा सकती है। दोनों दशाओं में आंशिक क्षति के लिये राहत क्षति के अनुसार होगा।

3- उक्त निर्धारित की गयी सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है, किन्तु किसी प्रकार की छूट अथवा ऊपर निर्धारित की गई सीमाओं को शिथिल करने से पूर्व शासन से गृह विभाग में उच्चादेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4- गंभीर दंगे में मारे गये अथवा घायल हुए व्यक्तियों और जिन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को दंगे के फलस्वरूप सम्पत्ति का क्षति होती है उन्हें ही दंगा पीड़ित माना जाएगा।

5- यह आदेश दिनांक 6 दिसम्बर, 1992 से प्रभावी होंगे।

6- वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-1 में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जाएगा।

। भोला नाथ तिवारी ।
प्रमुख सचिव, वित्त ।

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ0प्र0शासन ।

पृ0संख्या-एफ0एस-2-367।।।/दस-92-तद्दिनांकित

प्रतिलिपि प्रमुख महालेखाकार।लेखा एवं हकदारी। तथा महालेखाकार।आडिट।प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

। भोला नाथ तिवारी ।
प्रमुख सचिव, वित्त ।

पृ0सं0-स-2-367।।।/दस-92-तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषितः-

।1। समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
।2। समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।
---सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।

--- से